बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ सुरेश पासवान
मो० ~~[illegible]~~ 9431468605

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– ★ [illegible]
★ [illegible]

संयुक्त सचिवः – ★ राजयनन्द वार्डियार
★ अनिल कुमार

कोषाधयक्षः– ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – ★ विनोद आनन्द

पत्रांक : 36 दिनांक 11-8-2016

सेवा में,

गृह सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :– नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम को अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम का पत्र संलग्न करते हुए कहना है उनके एवं उप महापौर के बीच वाहन इंधन/चालक को लेकर विवाद चल रहा है तथा उन्होने अपने जान को खतरा बताया है, इस कारण उन्हें अंगरक्षक जिला प्रशासन द्वारा उपलबध कराया गया है, परन्तु वह शारीरिक रूप से असबल है।

नगर आयुक्त का पत्र संलग्न करते हुए संघ का अनुरोध है कि उन्हें दिया गया वर्त्तमान अंगरक्षक की सेवा वापस लेते हुए दो कारवाईन/एस0एल0आर0 धारी युवा अंगरक्षक उपलब्ध कराने का निदेश जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर को देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 11/08/16

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :– श्री रमेश प्रसाद रंजन, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/8/16

(सुशील कुमार)
महासचिव

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site-www.muzaffarpur.biharurban.in, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक– .... दिनांक .... / 2016

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा0प्र0से0),
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
श्री विवेक कुमार, (भा0पु0से0)
वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर।

विषय :– **अधोहस्ताक्षरी की सुरक्षा हेतु दो कारवाईन / एस0एल0आर0 धारी अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करते हुए कहना है कि सैयद माजिद हुसैन, मा0 उप महापौर, नगर निगम, मुज0 के द्वारा कुटनीति एवं धमकी भरे लहजे में बात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे जान के दुश्मन बन गये हैं तथा मेरे विरूद्ध कोई भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी को जैसी जानकारी मिली है, यह एक अपराधिक चरित्र के व्यक्ति रहे है तथा कई बार जेल भी जा चुके हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी इन्होंने अपने निजी वाहन में सरकारी ईधन का उपयोग जब से नगर निगम, मुजफ्फरपुर के उप महापौर बने है, ले रहे हैं, जो नियम के विरूद्ध है। इस संबंध में जब मेरे द्वारा कार्रवाई की गयी तो इन्होंने इसका घोर विरोध किया तथा कई समाचार पत्रों में गलत समाचार भी छपवाया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन माननीय उप महापौर, मो0 निसारुद्दीन उर्फ ''छोटे जी'' के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाहन की उपलब्धता के लिए एक रिट याचिका दायर की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि माननीय उप महापौर, मो0 निसारुद्दीन उर्फ ''छोटे जी'' को एक वाहन उपलब्ध करायी जाय, परन्तु यह न्यायादेश सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से पारित है न कि माननीय उप महापौर के पदनाम से है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायादेश का हवाला देकर वर्त्तमान माननीय उप महापौर सैयद माजिद हुसैन के द्वारा जब से पद ग्रहण किये है, तब से सरकारी ईधन का उपभोग किया जाना नियम के प्रतिकूल है तथा यह एक गंभीर अपराध भी है। मैंने इस संबंध में पूर्व में भी कई पत्र विभाग को लिखा था। उक्त पत्र के आलोक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा जाच का आदेश भवदीय को ही दिया गया था। भवदीय द्वारा इसकी जांच का दायित्व अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को सौंपी गयी, जो अभी लंबित है।

दिनांक 06.06.2016 को सैयद माजिद हुसैन, माननीय उप महापौर, नगर निगम, मुज0 बिना कोई पूर्व सूचना के मेरे आवास पर पहुंच गये। चूंकि कार्यालय का समय हो चुका था तथा माननीय सांसद

श्री अनिल सहनी मेरे कार्यालय पहुंच कर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मुझे इस बात की जानकारी हुयी तो मैंने अपने आदेशपाल से यह सूचना देते हुए कि माननीय उप महापौर को यह बता दे कि कार्यालय में आकर मिल लें। तत्पश्चात् माननीय सांसद की उपस्थिति में ही माननीय उप महापौर ने अपने पिस्टल के साथ चेम्बर में घुस गये तथा मुझसे धमकी भरे लहजे में अभद्र बातें करने लगे। इससे मैं मर्माहत तो हुआ ही, उनकी यह स्थिति को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कभी न कभी मेरे जान को खतरा में डाल सकते हैं। पूर्व के झंझट को देखते हुए भवदीय से दो कारवाईन/एस0एल0आर0 धारी अंगरक्षक की मांग अपने कार्यालय पत्रांक–2336 दिनांक 07.11.2015, पत्रांक–2374 दिनांक 11.11.2015, पत्रांक–11/गो0 दिनांक 26.12.2015 एवं पत्रांक–942 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा लगातार की जाती रही है, परन्तु मुझे जो एक अंगरक्षक दिया गया है, वह पिस्टलधारी दे दिया गया है जो शारीरिक रूप से इतने असबल है कि उसकी सुरक्षा पर मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है।

ज्ञातव्य हो कि मैं एक अनुसूचित जाति संवर्ग के पदाधिकारी हूँ। मेरे साथ जान–बुझकर इस तरह का व्यवहार माननीय उप महापौर के द्वारा किया जा रहा है एवं धमकी दी जा रही है, जिसके कारण मैं काफी व्यथित हूं एवं डर के साये में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि मेरे पास जो वर्त्तमान अंगरक्षक है, उनकी सेवा वापस लेते हुए दो कारवाईन/एस0एल0आर0धारी युवा अंगरक्षक की सेवा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 32/जी0 / मुज0 न0 नि0, मुज0 दिनांक 08/06/2016

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार पटना एवं नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, संघ भवन, कृष्णापुरी (इनकम टैक्स चौराहा के नजदीक), पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

8/6/2016

नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।